



## **The Chhattisgarh Kamadhenu University (Amendment) Act, 2020**

Act 13 of 2020

### **Keyword(s):**

**DISCLAIMER:** This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 358 ]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 17 अगस्त 2020 — श्रावण 26, शक 1942

विधि और विधायी कार्य विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 17 अगस्त 2020

क्रमांक 6517/डी. 116/21-अ/प्रारू./छ. ग./20. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 14-07-2020 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

## छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 13 सन् 2020)

## छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2020

छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (क्र. 21 सन् 2011) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ. 1.

- (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहलायेगा.
- (2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.
- (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

मूल अधिनियम का संशोधन. 2.

छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (क्र. 21 सन् 2011) में,-

(एक) धारा 1 में, उप-धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

“(1) यह अधिनियम दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 कहलायेगा.”

(दो) शब्द “छत्तीसगढ़ कामधेनु” जहां कहीं भी आया हो के स्थान पर, शब्द “दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु” प्रतिस्थापित किया जाए.

अटल नगर, दिनांक 17 अगस्त 2020

क्रमांक 6517/डी. 116/21-अ/प्रारु./छ. ग./20.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग का समसंख्यक अधिनियम दिनांक 17-8-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT  
(No. 13 of 2020)

THE CHHATTISGARH KAMDHENU VISHWAVIDYALAYA (SANSHODHAN)  
ADHINIYAM, 2020

An Act further to amend the Chhattisgarh Kamdhenu Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2011 (No. 21 of 2011).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventieth-First Year of the Republic of India, as follows :-

- |    |  |                                       |
|----|--|---------------------------------------|
| 1. | (1) This Act may be called the Chhattisgarh Kamdhenu Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2020.                                       | Short title, extent and commencement. |
|    | (2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.  |                                       |
|    | (3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.   |                                       |
| 2. | In the Chhattisgarh Kamdhenu Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2011 (No. 21 of 2011),-  | Amendment of the Principal Act.       |
|    | (i) in Section 1, for sub-section (1), the following shall be substituted, namely :-   |                                       |
|    | “ (1) This Act may be called the Dau Shri Vasudev Chandrakar Kamdhenu Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2011.”                                  |                                       |
|    | (ii) for the words “ Chhattisgarh Kamdhenu”, wherever they occur, the words “Dau Shri Vasudev Chandrakar Kamdhenu” shall be substituted. |                                       |